निदेशक कार्यालय अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029

दिनांक

<u>कार्यवृत्त</u>

विषय:- एम्स, नई दिल्ली में एबी-पीएमजेएवाई के प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन हेतु संबंधित मुद्दे।

एम्स, नई दिल्ली विश्व की सबसे बड़ी राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना को लागू करने वाला राष्ट्रीय महत्व का पहला संस्थान है। आयुष्मान भारत—प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) सर्वव्यापी स्वास्थ्य कवरेज के दृष्टिकोण को पूरा करने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के भाग के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एक राष्ट्रीय पहल है यह भारत के गरीब एवं निर्धन लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा की ओर एक कदम है। एम्स 2018 में, इस योजना की शुरूआत के बाद योजना संबंधी सभी तथ्यों को सफलतापूर्वक लागू कर रहा है, जो एक केंद्रीय सुविधा वन-स्टॉप सेंटर के रूप में कार्यरत है, जिसके तहत समेकित कैशलेस सेवाओं को सुनिश्चित करने हेतु एबी-पीएमजेएवाई संबंधी सभी मामलों जैसे लाभार्थियों का सत्यापन, प्रक्रियाओं के पूर्व प्राधिकरण आदि के लिए 24x7 कार्यात्मक है। यह योजना रोगी उपचार प्रबंधकों (पीसीएमएस) और प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र (पीएमएएस) सहित चिकित सा सामाजिक सेवा अधिकारी (एमएसएसओं) के नेतृत्व में गेट नं. 1 के निकट आयुष्मान भारत केंद्र के माध्यम से लागू की गई है। योजना के नियमों और सभी साझेदारों की भूमिकाओं/जिम्मेदारियों को उचित रूप से परिभाषित एवं एक मैनुअल के रूप में प्रकाशित किया गया है। सभी संबंधितों लाभार्थियों के सहयोग एवं समन्वय के बिना इस योजना का कार्यान्वयन संभव नहीं है। हालांकि, अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह पाया गया है कि विभिन्न चुनौतियां सामने आ रही हैं जो योजना के प्रभावी निष्पादन/कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न कर रही हैं एवं संबंधित साझेदारों द्वारा इस पर ध्यान देने और कर्मठतापूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है।

1. डिस्चार्ज के दौरान बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण:

यह सूचित किया गया है कि नियमित आधार पर डिस्चार्ज की जानकारी पीएमएएम को नहीं दी जा रही है एवं रोगी को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बिना संबंधित रोगी उपचार क्षेत्र से डिस्चार्ज किया जा रहा है, जो दावा-प्रक्रिया हेतु अनिवार्य है। अत: यह सलाह दी जाती है कि सभी परिचर्या (नर्सिंग) स्टाफ आयुष्मान केंद्र में पीएमएएम को अनिवार्य रूप से सूचित करें एवं रोगी को डिस्चार्ज समरी सौंपने से पूर्व बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करें। यदि कोई रोगी छूट जाता है तो जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्य परिचर्या अधिकारी कृपया इसे सुनिश्चित करें।

(कार्रवाई: सीएनओ, सभी परिचर्या अधिकारी)

2. पीएम-जेएवाई स्वास्थ्य लाभ पैकेज (एचबीपी) के अंतर्गत सूचीबद्ध इम्प्लांट मैप्ड का अनुमान:

अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह पाया गया है कि स्कोलियोसिस, कफोसिस आदि हेतु रीढ की हड्डी में सुधार जैसे मामलों का उपचार करने वाले चिकित्सक द्वारा दिए गए अनुमानित पीएम-जेएवाई स्वास्थ्य लाभ पैकेज में उल्लिखित /अनुमोदित प्रक्रिया/प्रत्यारोपण की दर लागत से बहुत अधिक है। पैकेज की कीमत एवं उपचार की अनुमानित लागत में अधिक अंतर होने के कारण लाभार्थी उपचार का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। एतद्द्वारा यह सुझाव दिया जाता है कि संबंधित विभाग उचित मेक-इन-इंडिया इम्प्लांट को खरीद सकता है जो गुणवत्ता में बिना किसी कमी के पीएम-जेएवाई के स्वास्थ्य लाभ पैकेज के अनुसार लागत को कवर करेगा। ऐसे मामलों में जहां मेक-इन-इंडिया इम्प्लांट का क्रय उचित/संभव नहीं है, विभागाध्यक्ष द्वारा उपर्युक्त के सदर्भ में निर्णय लिया जाएगा।

(कार्रवाई: सभी संबंधित)

3. एबी-पीएमजेएवाई लाभार्थी की जांचों को बाहर भेजा जा सकता है:

यह देखा गया है कि पिछले एक वर्ष में पीएम-जेएवाई लाभार्थियों की एम्स से बाहर भेजी जाने वाली जांचों की संख्या में वृद्धि पाई गई है। इसके कारण इन जांचों के परिणाम प्राप्त होने में अनावश्यक देरी होती है। इसके साथ ही, अधिकांश जांच, पैकेज के अंतर्गत सम्मिलित नहीं हैं एवं असाधारण अनुमोदन प्राप्त होने के बाद भेजी जाती हैं। चूंकि मामलों की संख्या बढ रही है, इसलिए देश का शीर्ष संस्थान होने के नाते एम्स को ऐसी जरूरी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे न केवल लागत कम होगी, बल्कि टर्नअराउंड सिहत सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। इसके साथ ही, प्रभारी संकाय, लैब मेडिसिन स्मार्ट लैब में जेनेटिक प्रोफाइल, सीएसएफ, चेचक, आईजीएम इंडेक्स आदि जैसी आंतरिक जांच करने की संभावना के विकल्प ढूंढ सकते हैं। ऐसी सभी जांच संबंधी विवरण विभागाध्यक्ष लैब मेडिसिन को पहले ही उपलब्ध करा दिए गए हैं।

(कार्रवाई: विभागाध्यक्ष, लैब मेडिसिन)

4. ओपीडी/डे केयर रोगियों हेतु मौखिक (ओरल) कीमोथेरेपी दवाओं का इंडेंट/वितरण:

पीएम-जेएवाई के जिन लाभार्थियों को ओपीडी या डे-केयर चिकित्सा के आधार पर मौखिक कीमोथेरेपी की सलाह दी जाती है, उन्हें उपचार कर रहे चिकित्सा द्वारा नियत अस्पताल भंडार से दवाईयां उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। यह निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित दवाओं को संबंधित परिचर्या अधिकारियों द्वारा अनुमोदित पीपीडी (दवा प्रशासन /वितरण तिथि से एक दिन पूर्व) के आधार पर डे केयर/ओपीडी में इंडेंट किया जाए साझेदारों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी लाभार्थी ओपीडी/डे केयर में मौखिक कीमोथेरेपी दवाओं से वंचित न रहे।

(कार्रवाई: सभी संबंधित परिचर्या अधिकारी)

5. चिकित्सा रिकॉर्ड की स्कैनिंग एवं इम्प्लांट का बारकोड/स्टीकर प्रदान करना:

परिचर्या अधिकारी एवं चिकित्सा रिकॉर्ड अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि डिस्चार्ज के समय दावे प्रस्तुत करने हेतु पीएमएएस या रोगी के चिकित्सा रिकॉर्ड को स्कैन करने से इनकार न किया जाए। इसके अतिरिक्त, पात्र लाभार्थी के लिए पीएम-जेएवाई के अंतर्गत मांगे गए सर्जिकल उपभोग्य सामग्रियों का बारकोड/स्टीकर की स्कैन की गई कॉपी को दावा प्रस्तुत करने हेतु टीएमएस पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। मुख्य परिचर्या अधिकारी इस संबंध में परिचर्या अधिकारी द्वारा अनुपालन को सुनिश्चित करें। रेज़ि

(कार्रवाई: मुख्य परिचर्या अधिकारी, सभी परिचर्या अधिकारी एवं चिकित्सा रिकॉर्ड अधिकारीगण)

6. पीएम-जेएवाई लाभार्थी हेतु जांच रिपोर्ट की उपलब्धता:

पीएम-जेएवाई के अंतर्गत दावे की प्रतिपूर्ति हेतु,विशिष्ट रोग/शल्य चिकित्सा संबंधी मेडिकल रिकॉर्ड सहित जांच रिपोर्ट जैसे एक्स-रे रिपोर्ट, एमआरआई रिपोर्ट, हिस्टोपैथोलॉजी प्रबंधन प्रणाली (टीएमएस) पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए। चूंकि पीएमएएस को लाभार्थी की जांच की उपलब्धता नहीं है, इसलिए वे इसके लिए विभिन्न विभागों के रेज़िडेंट पर निर्भर हैं जिससे दावा प्रस्तुत करने में विलंब होता है। यह सलाह दी जाती है कि विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि उनके रेज़िडेंट समयबद्ध तरीके से प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने हेतु पीएम-जेएवाई कर्मचारियों के साथ सहयोग करें।

(कार्रवाई: सभी संबंधित)

7. <u>एचबीपी-2022 में अंग एवं ऊतक (टीशू) प्रत्यारोपण और अर्बुद संवेहनाहरण एवं (प्रशामक) पैलिएटिव चिकित्सा (ओएपीएम) और पैकेज को कार्यान्वयन करना:</u>

एचबीपी-2022 में अंग एवं ऊतक (टीशू) प्रत्यारोपण और अर्बुद संवेदनाहरण एवं प्रशामक चिकित्सा विशेषता को सम्मिलित किया गया है। अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण में गुर्दे का प्रत्यारोपण और बोन मैरो प्रत्यारोपण (ऑटोलॉगस) शामिल हैं। सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया जाता है कि संशोधित पैकेज तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। (कार्रवाई: सभी संबंधित)

8. अनिर्दिष्ट मामलों का प्रबंधन

अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में यह आया है कि आरोग्य मित्रों (पीएमएएम) एवं रोगी देखभाल प्रबंधकों (पीसीएम) पर विशेष रूप से अनिर्दिष्ट पैकेजों के मामले में पूर्व-स्वीकृति प्राप्त करने में देरी के लिए अनुचित दवाब डाला जाता है। यह देखा जा सकता है कि अनिर्दिष्ट सर्जरी के मामले लेनदेन प्रबंधन प्रणाली (टीएमएस) के विषय से संबंधित है, जिसके लिए यूपी, एमपी, जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों के तीसरे पक्ष प्रशासक (टीपीए) इलाज करने वाले डॉक्टरों द्वारा प्रदान की गई राशि के लिए बातचीत करते हैं, जिससे मंजूरी में देरी होती है। कई बार मरीज भर्ती हो जाता है एवं उपचार/भर्ती के संबंध में निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। एनएचए को इन मुद्दों से अवगत करा दिया गया है एवं दिशा निर्देशों की प्रतीक्षा की जा रही है। यह अनुरोध है कि सभी हितधारकों को इस संबंध में सहयोग करना चाहिए एवं रोगी देखभाल प्रबंधक (पीसीएम) एवं प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र (पीएमएएम) को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं करना चाहिए।

(कार्रवाई: सभी संबंधित हेतु)

9. पीएम-जेएवाई लाभार्थियों हेतु अनावश्यक स्थानीय खरीद से बचने हेतु:

अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह देखा गया है कि आयुष्मान भारत लाभार्थियों हेतु स्थानीय खरीद (एल.पी.) में वृद्धि देखी गयी है। अंतिम समय में एलपी से बचने एवं सुनिश्चित पारदर्शिता एवं उचित सुशासन (व्यवस्था) हेतु, यह आवश्यक है कि सभी संबंधित केन्द्रों/विभागों के पास पीएम–जेएवाई योजना के अंतर्गत संबंधित लाभार्थी हेतु अपेक्षित वस्तुओं की व्यवस्था करने हेतु दर अनुबंध तैयार करने के लिए इन–हाऊस मैकेनिज्म व्यवस्था हो। रोगियों हेतु सभी आवश्यक वस् तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना संबंधित केन्द्र/विभाग की जिम्मेदारी होगी।

स्थानीय खरीद असाधारण मामलों हेतु शुरू की जाएगी।

(कार्रवाई: सभी संबंधित हेतु)

10. बजट संबंधित आवश्यकताएं एवं प्रतिपूर्तिः

यह देखा गया है कि केन्द्रों /विभागों में प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना के अंतर्गत उपचार करवा चुके प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों के बिलों को केन्द्रों /विभागों द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु मुख्य अस्पताल में भेजा जा रहा है। सभी संबंधितों से अनुरोध किया जाता है कि इस प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। बजट संबंधित आवश्यकता में किसी भी वृद्धि के मामले में विभागाध्यक्ष/केन्द्र प्रमुख से अनुरोध है कि वे बढ़ी हुई बजट संबंधी आवश्यकता को उचित कारण सहित बजट अनुभाग को प्रस्तुत करें।

(कार्रवाई: सभी संबंधित हेतू)

11. राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (एसएचए) द्वारा अनुमोदित पूर्व स्वीकृति को रद्द करने हेतु:

कुछ मामलों में यह देखा गया है कि राज्य स्वास्थ्य एजेंसी उपचार हेतु पूर्व-स्वीकृति को रद्व करने के लिए ईमेल भेज रही है जिन्हें शुरूआत में मंजूरी दे दी थी। यह रद्व करने संबंधी सूचना पत्र बहुत कम समय के नोटिस पर प्राप्त किए जा रहे हैं अर्थात सर्जरी के दौरान अथवा सर्जरी से तुरंत पहले तथा कभी-कभी सर्जरी उपचार के बाद। इस संबंध में एनएचए को बार-बार सूचित किया गया है एवं उनका उत्तर प्रतीक्षित है। ऐसे मामले जिनमें उपचार/सर्जरी पहले ही की जा चुकी है उनका खर्चा अस्पताल उठाएगा और प्रतिपूर्ति हेतु राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के समक्ष संबंधित मामले

प्रस्तुत करेगा हालांकि उन सभी मामलों में जिनमें उपचार अभी नहीं किया जाना है अथवा उन रोगियों का उपचार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत नहीं किया जा सकता क्योंकि यह मामले आयुष्मान भारत केंद्र, एम्स के नियंत्रण से बाहर है अत: सभी संबंधित हितधारकों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के स्टाफ के साथ सहयोग करना आवश्यक है।

(कार्रवाई: सभी संबंधित अधिकारीगण)

12. प्रत्येक केन्द्र/विभाग में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का सफल क्रियान्वयन

यह सुनिश्चित करना सभी संबंधित विभाग/एककों की जिम्मेदारी होगी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार सभी विभाग/एककों में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सफलतापूर्वक लागू की जाए। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के किसी भी पात्र/हकदार लाभार्थी को इलाज से वंचित नहीं किया जाना चाहिए तथा सभी लाभार्थियों का इलाज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत किया जाना चाहिए।

(कार्रवाई: सभी संबंधित हेतु)

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए सभी संबंधित हितधारकों से अनुरोध है कि वे सभी पात्र लाभार्थियों को अपेक्षित लाभ प्रदान करने के लिए एम्स, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के सुचारू एवं सुगम कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।

(आचार्य एम. श्रीनिवास)

निदेशक

वितरण:

- सभी केन्द्र प्रमुखगण।
- चिकित्सा अधीक्षक, मुख्य अस्पताल और रा.प्र.केन्द्र।
- सभी क्लिनिकल/नैदानिक विभाग/एककों के प्रमुखगण।
- वरिष्ठ वित्त सलाहकार।
- सभी संकाय-सदस्य और रेजिडेंट, अस्पताल प्रशासन विभाग।
- कंप्यूटर सुविधा के प्रभारी आचार्य: एम्स कंटेन्ट प्रोवाइडर के माध्यम से प्रसारित करने के लिए।
- मुख्य परिचर्या अधिकारी सभी परिचर्या अधिकारीगण को प्रसारित करने के अनुरोध सहित।

OFFICE OF THE DIRECTOR ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

Ansari Nagar, New Delhi-110029

Dated: 30th August, 2023

MINUTES

Subject: Issues being faced in the effective implementation of AB-PMJAY at AIIMS, New Delhi reg..

AIIMS, New Delhi is the first institute of National Importance to implement world's largest National health scheme. Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojna (AB-PMJAY) is a National initiative launched by Government of India as the part of National Health Policy 2017, in order to achieve vision of Universal Health Coverage. It is a step towards providing social security to the poor and indigent people of India. AIIMS has been successfully implementing all the facets of the scheme since its inception in 2018, as a centralized facility acting as a one stop center, functional 24X7 for all matters related to AB-MPJAY such as verification of beneficiaries, pre-authorization of procedures, etc. for ensuring seamless cashless services. The scheme has been implemented through the Ayushman Bharat Kendra near Gate No. 1 led by Medical Social Service Officer (MSSO), along with Patient Care Managers (PCMs) and Pradhan Mantri Arogya Mitras (PMAMs). The tenets of the scheme and roles/ responsibilities of all stakeholders have been well defined and published in the form of a manual. The implementation would not have been a success without cooperation & coordination of all concerned stakeholders.

However, it has come to the notice of the undersigned that various challenges are being faced which causes hindrance in effective execution / implementing of the scheme and needs to be addressed and worked upon diligently by the concerned stakeholders.

1. Biometric authentication at the time of discharge:

It has been informed that the discharge information is not being communicated to PMAM on regular basis and the patient is discharged from the respective patient care area without biometric authentication done, which is mandatory for the claim processing. Hence, it is advised that all the nursing staff have to mandatorily inform PMAM at Ayushman Kendra and ensure bio-metric authentication before handing over the discharge summary to the patient. In case any patient is missed out strict action would be taken against the responsible person. CNO may please ensure the same.

(Action: CNO, All Nursing Officers)

2. Estimate of Implant mapped/enlisted under PM-JAY Health Benefit Package (HBP):

It has come to the notice of the undersigned that the estimate given by the treating doctor for some cases like spine correction for Scoliosis, Kyphosis etc. is much higher than the procedure / implant cost mentioned / approved in PM-JAY Health Benefit Package. The beneficiaries are not able to avail the treatment due to significant difference package rates and estimated cost of treatment. It is hereby suggested that the concerned Department may come up with procurement of appropriate Make-in-India implants that shall cover the cost as per Health Benefit Package of PM-JAY without compromising the quality. In such cases where Make-in-India implant is not suitable / feasible, the Head of Department will decide for the same.

(Action: All concerned)



3. <u>Investigations of AB-PMJAY beneficiary being sent outside:</u>

It has been observed that the number of investigations sent outside AIIMS of the PM-JAY beneficiaries have increased in around past one year. It causes unnecessary delays in getting results of these investigations. Also, majority investigations are not covered under the package and are being sent after availing an exceptional approval. Since the number of cases is increasing, AIIMS being an Apex institute of the country should make all necessary arrangements for conducting all such investigations at AIIMS only, which will not only reduce the cost, the quality of services with turnaround will also improve. Simultaneously, the Faculty Incharge Lab Medicine may explore options for the feasibility of conducting in-house investigations like genetic profile, CSF Measles IgM Index etc. in SMART Lab. The details of all such investigations have already been provided to HoD Lab Medicine.

(Action: HOD, Lab Medicine)

4. <u>Indent/dispensing of oral chemotherapy drugs for OPD / Day Care patients:</u>

The PM-JAY beneficiaries who are advised for oral chemotherapy in OPD or Day care basis must be provided with the drugs by the hospital stores as prescribed by the treating doctor. It is instructed that the prescribed drugs are to be indented by the concerned nursing officers in Day care/ OPD, on the basis of the approved PPD (one day before the drugs administration/dispensing date). The drugs shall be issued by respective stores to the Nursing Officer. It is to be ensured by the stakeholders that none of the beneficiary is denied of oral chemotherapy drugs in OPD / Daycare.

(Action: All concerned Nursing Officer)

5. Scanning of medical records and providing Barcode/ Sticker of implant:

Nursing Officers and Medical Record Officers to ensure that access is not denied to PMAM for scanning the Medical records of the patient in order to process the claim at the time of discharge. Also, the scanned copy of bar code/ sticker of surgical consumables, which are indented under PM-JAY for entitled beneficiaries are mandatory to be uploaded on TMS Portal for the claim submission. CNO to ensure Nursing Officers compliance in this regard

(Action: CNO, All Nursing Officers & Medical Record Officers)

6. Accessibility of investigation reports for PM-JAY beneficiary:

For reimbursement of claim under PM-JAY, specific disease/surgery related medical records along with the investigation reports such as X-ray report, MRI report, Histopathology reports etc. to be uploaded on Transaction Management System (TMS) portal. Since PMAM are not having an access to the investigations of the beneficiary, they are dependent upon the Residents of various departments for the same, which causes substantial delay in claim submission. It is advised that HODs must ensure their residents cooperate for the same with PM-JAY staff in order to facilitate the process in a time bound manner.

(Action: All concerned)

7. <u>Implementation of Organ & Tissue Transplant and Oncoanesthesia and Palliative</u> Medicine (OAPM) Specialty & Packages in HBP-2022:

In HBP-2022, Organ & Tissue Transplant and Onco-anesthesia and Palliative Medicine specialties have been included. The Organ & Tissue Transplant includes Renal transplant & Bone Marrow Transplant (autologous). All concerned departments are hereby directed that the revised packages must be implemented with immediate effect.

(Action: All concerned)

Am



8. <u>Management of unspecified cases:</u>

It has come to the notice of the undersigned that the Arogya Mitras (PMAM) and Patient Care Managers (PCM) are put under undue pressure / are harassed for delay in receiving the pre-authorization especially in case of unspecified packages. It may be noticed that the unspecified surgical cases are being raised on Transaction Management System (TMS) for which Third Party Administrators (TPAs) from states such as UP, MP, J&K negotiates for the amount provided by the treating doctors, which delay the approval. Many a times patient is admitted and it become difficult to take decision regarding treatment / admission. NHA has been intimated of the issue and guidelines are awaited. It is requested that all the stakeholders must cooperate in this regards and not unnecessarily harass the Patient Care Manager (PCM) and Pradhan Mantri Arogya Mitras (PMAM).

(Action: All concerned)

9. <u>To avoid unnecessary Local purchase for PM-JAY beneficiaries:</u>

It has come to the notice of the undersigned that Local Purchase (LP) for Ayushman Bharat beneficiaries is found to be increasing. In order to avoid LP at eleventh hour and to ensure transparency and good governance, it is desired that all the concerned Centers/Departments will have in-house mechanism to devise rate contract in order to arrange requisite items for the respective entitled beneficiary under the PM-JAY. It will be the responsibility of the concerned Center/ Department to ensure the availability of all requisite items for the patients.

The Local Purchase to be initiated for exceptional cases only.

(Action: All concerned)

10. Budgetary requirement and Reimbursement:

It has been observed that Centers / Departments are raising the bills of PM-JAY beneficiary patients treated under PM-JAY in Centers / Departments to the Main Hospital for reimbursement. All concerned Centers / Departments are requested to stop this practice with immediate effect. In case of any increase in budgetary requirement, the Head of the Department/ Chief of the Center is requested to put up the increased budgetary requirement to the budget section with proper justification.

(Action: All concerned)

11. Cancellation of approved Preauthorization by SHA (State Health Agency):

It has been observed that in some cases, the SHA are sending emails directing cancellation of pre-authorization for treatment that were initially approved. The cancellation communications are being received on extremely short notice i.e. during or just before surgery and sometimes after surgery/treatment. NHA has been repeatedly intimated regarding the same and their reply is still awaited. The cases in which treatment/surgery has already being conducted, the hospital will bear the expenses and put up the matter to the concerned State Health Authority for reimbursement. However, in all such cases where treatment is not yet carried out the patients cannot be treated under PM-JAY. Since these matters are beyond control of Ayushman Bharat Kendra, AIIMS, all concerned stakeholders are required to cooperate with PM-JAY staff.

(Action: All concerned)

An

12. Successful implementation of PM-JAY in each Center/Department:

It would be the responsibility of concerned Head of Department/Unit to ensure that PM-JAY is successfully implemented in all Department/Units as per existing guidelines of PM-JAY. No eligible/entitled PM-JAY beneficiary should be denied of treatment and all beneficiaries to be treated under PM-JAY.

(Action: All concerned)

In view of above, all the concerned stakeholders are requested to take necessary measures for smooth and hassle free implementation of PM-JAY at AIIMS, New Delhi in order to provide requisite benefits to all the entitled beneficiaries.

An 30/8/2023

(Prof. M. Srinivas) Director

Distribution:

- Chief(s) of all Centers
- Medical Superintendent, Main Hospital and RPC Center
- Head(s) of all Clinical/Diagnostic Departments/ Units
- Senior Finance Advisor
- All Faculty and Residents, Deptt. Of Hospital Administration
- Professor In-charge, Computer Facility: For circulating through AIIMS, Content Provider
- Chief Nursing Officer with a request to circulate to All Nursing Officers.